उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:19/2022/203/1603760/12-2099/24/2022
लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8920-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के मानक मद-27-सब्सिडी में रू. 466.66 लाख (रूपये चार करोड़ छांछठ लाख छांछठ हजार मात्र) की पुनर्विनियोग (बी.एम.-9 संलग्न) के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उत्तरप्रदेश द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
2. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जाएगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जाएगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइड-लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जाएगा।
6. आंकड़ो की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2. प्रश्नगत प्रकरण में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या: 6/2021/बी-1-499/दस-2021, दिनॉक 24 जून, 2021 के क्रम में अपने स्तर से धनराशि कोषागार से एक मुश्त आहरित कर SNA के खाते के माध्यम से धनराशि का अन्तरण जनपद स्तर पर इम्पलीमेन्टिंग एजेन्सी को किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. उक्त धनराशि का आहरण/व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8920-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जाएगा।

संलग्नक: यथोपरि।

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in

संख्या: 19/2022/203/1603760/12-2099/24/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/2267/एस0एम0ए0एम0-लेखा/2021-22, दिनांक 09 फरवरी, 2022 के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ:बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम-83-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2021-22

प्रपत्र बीएम-9 (भाग-1)

धनराशि (लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त संक्रमण धनराशि
1	2	3	4	
अनुदान संख्या-83 24 01 00 789 02 01 2401-फसल कृषि कर्म 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 0201-कृषि विकास योजनाये 27-सब्सिडी	2250.00	466.66	466.66	
महायोग	2250.00	466.66	466.66	
निम्नलिखित निधियोंमें प्रस्तावित संक्रमण				
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त संक्रमण
7	8	9	10	
अनुदान संख्या-83 24 01 00 789 89 20 2401-फसल कृषि कर्म 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 89-कन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8920-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइेजेशन 27-सब्सिडी	0.00	466.66	466.66	
योग	0.00	466.66	466.66	
(रूपए चार करोड़ छांछठ लाख छांछठ हजार मात्र)				

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में मांग कम होने के कारण बचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एस0एम0ए0एम0 योजना के संचालन हेतु भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किए जाने के फलस्वरूप नवसृजित लेखाशीर्ष में केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश का प्रावधान कराए जाने के कारण।

3- प्रमाणित किा जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर.ई.संख्या- 513, , दिनॉक 15 मार्च, 2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(राधेश्याम यादव) (फूलचन्द

उप सचिव, कृषि विभाग
वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
शासन।

अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 19/2022/203/1603760/12-2099/24/202
लखनऊ: दिनॉक 21 मार्च, 2022

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 की तीन प्रतियों सहित),
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1,
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in